तारीख हुक्म	
19.6.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
10.7.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 7.8.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
7.8.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 21.8.20 को पेश हो।
21.8.20	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 11.9.20 को पेश हो।
11.9.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 9.10.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल
9.10.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए रा. का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी भूमि आराजी नं. 287/1 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि ग्राम नीम का खेड़ा पटवार हल्का दांता कला तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थी के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं. 1 व 2 की आराजी नं. 277 रकबा 08 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.22 13:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
भूमि मे उत्तर दिशा की मेड के सहारे-सहारे पूर्व से पश्चिम मे 30फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोट पर अध्ययन किया किया गया। जिससे यह जाहिर आया कि प्रार्थी ने आराजी सं. 287/1 रकबा 01 बीघा 12 विस्वा भूमि विपक्षी सं. 2 के नाम दर्ज मूल आराजी नं. 287 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा मे से क्रय की जाकर अपने आधिपत्य मे ली थी तथा वक्त क्रय के मूल आराजी नं. 287 मे लीथी तथा वक्त क्रय के मूल आराजी नं. 287 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि सड़क से लगती हुई होकर प्रार्थी अपनी खरिदशुदा आराजी नं. 287/1 मे मूल आराजी नं. 287 मे से पूर्व दिशा की तरफ स्थित गैर मु० नाले के सहारे-सहारे आवागमन करता चला आ रहा है तथा प्रार्थी की आराजी नं. 287/1 मे आने जाने का मौके पर मूल आराजी सं. 287 व गै: मु० नाले के सहारे-सहारे मौके पर स्थित है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता आराजी नं. 277 की भूमि केवल मात्र 0.08 बिस्वा होकर विपक्षी सं. 1 व 2 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है इस प्रकार प्रार्थी की आराजी मे आने जाने का मौके पर रास्ता उपलब्ध होने से एंव आराजी नं. 277 का रकबा कम होने से प्रार्थी द्वारा आराजी न. 277 मे चाहा गया रास्ते बाबत् अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से आराजी नं. 277 मे से नये सिरे से रास्ता दिया जाना उचित नही समझता हूं। साथ ही विपक्षी सं. 2 मे अपने जवाब मे इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थी अपनी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.22 13:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जा
	आराजी नं. 287/1 मे विपक्षी सं. 2 की मूल आराजी नं. 287 मे से पूर्वी दिशा की तरफ ओर स्थित गैर मु० नाले के सहारे-सहारे होकर आवागमन करता चला आ रहा है साथ ही विपक्षी सं. 2 अपनी आराजी सं. 287 मे से गैर मु० नाले के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई की भूमि को रास्ते के रूप मे दर्ज कराने एंव नियमानुसार रास्ते के रूप मे दर्ज की जाने वाली भूमि के बदले भूमि प्रतिकर राशि प्राप्त नही कर रास्ते की भूमि के बदले प्रतिकर राशि के नियमानुसार दुगनी भूमि विपक्षी सं. 2 के नाम पर प्रार्थी की आराजी नं. 287/1 मे से दिये जाने पर विपक्षी सं. 2 प्रार्थी को अपनी आराजी नं. 287 मे गैर मु० नाले के सहारे-सहारे प्रार्थी की आराजी नं. 287/1 तक रास्ता देने हेतु तैयार है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विपक्षी सं. 2 के जवाब अनुसार एंव भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षी की आराजी नं. 287 के पूर्वी दिशा मे नाले के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी नं. 287/1 तक रास्ता दिया जाना उचित समझता हूँ।	
	:: आदेश ::	
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम नीम का खेड़ा परवार हल्का दांता कला तहसील-माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं. 287/1 रकबा 0.1 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि से आने-जाने	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.22 13:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हेतु विपक्षी सं॰ 2 की आराजी नम्बर 287 मे से पूर्वी दिशा गैर मु॰ नाले के सहारे-सहारे प्रार्थी की आराजी नं॰ 287/1 तक 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, 12 फीट की चौड़ाई के रास्ता के काम मे आने वाली भूमि को सार्वजनिक रास्ते मे दर्ज कराने एंव रास्ते के रूप मे दर्ज की जाने वाली भूमि के बदले भूमि प्रतिकर राशि के रूप मे विपक्षी सं॰ 2 के नाम पर प्रार्थी की आराजी नं॰ 287/1 मे से दिये जाने का आदेश दिया जाता है। रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। तथा प्रार्थी की आराजी नं॰ 287/1 मे से रास्ते के रूप मे दर्ज की जाने वाली भूमि के बदले भूमि विपक्षी सं॰ 2 के खाते मे दर्ज की जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.10.22 13:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner